30.04.2026

अभियुक्त ऋषिकेश तोण्डे की ओर से श्री महेंद्र मिश्रा अधिवक्ता उप0।

अभियोजन की ओर से श्री उमेश यादव अपर लोक अभियोजक उप0।

प्रकरण अभियुक्त ऋषिकेश तोण्डे की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., 2023 पर तर्क हेतु नियत है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

इस आदेश से अभियुक्त ऋषिकेश की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र (आई.ए. नंबर–01/2026) का निराकरण किया जा रहा है।

सुसंगत विवरण :–

प्रथम सूचना रिपार्ट क्रमांक	213/2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	12/12/2025
आरक्षी केन्द्र	अपराध शाखा इंदौर
गिरफतारी दिनांक	दिनांक–11.12.2025
आवेदक/आरोपी का आपराधिक पूर्ववृत्त	निरंक
अन्वेषण/अभियोगपत्र की स्थिति	अभियोग पत्र प्रस्तुत

आवेदक का पक्षः–

आवेदक/अभियुक्त की ओर से **प्रथम नियमित** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. होने के संबंध में आवेदक के संबंध में अजय तोण्डे पिता शिवाजी तोण्डे, नि0–14/1, मरीमाता चौराहा, बीमा अस्पताल के पीछे, इंदौर द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक उसका पुत्र होना अभिकथित है। शपथपत्र में आवेदन के तथ्यों का समर्थन करते हुए लेख किया है कि इस आवेदनपत्र के अलावा अन्य कोई आवेदन न तो माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य सत्र न्यायालय में लम्बित है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. इस प्रकार है कि आवेदक का घटना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, उसे असत्य आधारों पर घटना में

आलिप्त किया गया है, वह निर्दोष होकर दिनांक–11.12.2025 से न्यायिक निरोध में है। आवेदक पढ़ा लिखा होकर उत्कृष्ट विद्यार्थी है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का न होकर, उसके उपर पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगन की पूर्ण संभावना है। आरोपित अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, आवेदक इंदौर का स्थायी निवासी है, उसके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के सहअभियुक्तगण रीतेश नागर को एम.सी.आर.सी. क्रमांक–13088/2026 आदेश दिनांक–28.04.2026 से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है, वर्तमान आवेदक का कृत्य जमानत पर छोड़े गये सहअभियुक्त रीतेश नागर से भिन्न नहीं है, उसे भी समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्रदान किया जावे। आवेदक साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, जमानत की शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है, उक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर स्वतंत्र किये जाने का निवेदन किया गया।

<u>अभियोजन का पक्षः–</u>

राज्य की ओर से लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का मौखिक विरोध करते हुए अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के कूटकरण करने/नकली नोट आधिपत्य में रखकर उन्हें बाजार में चलाने का गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना कथित करते हुए, जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष को सुना गया।
सत्र प्रकरण का अवलोकन किया गया।

<u>सत्र प्रकरण में वर्णित तथ्यः–</u>

सत्र प्रकरण में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार दिनांक–11.12.2025 को 20:45 बजे थाना अपराध शाखा, इंदौर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राहुल जोशी को हमराह फोर्स के साथ ईलाका भ्रमण के दौरान प्राप्त मुखबिर के सूचना के आधार पर राहगीर पंचान को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए, गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास सदर बाजार, इंदौर पहुंचे, जहां दो अलग–अलग दो पहिया वाहन पर कुल चार लोग बैठे हुए दिखाई दिये, जिन्हें हमराह फोर्स एवं राहगीर पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं नाम व पता पूछने पर आरोपीगण ने अपना नाम रितेश नागर, अंकुश, ऋषिकेश एवं वंश बताया, जिनकी तलाशी लिये जाने पर आरोपी रितेश नागर की पहनी जैकेट की दाहिनी जेब से

500/– रूपये की गड्डी, अंकुश के पेंट की दाहिनी जेब से 500/– रूपये की गड्डी एवं अन्य आरोपीगण ऋषिकेश एवं वंश से भी 500/– के नोटों की गड्डी मिली, जो कि हूबहू असली के जैसे दिख रहे थे। उक्त नोटों का बारीकी से परीक्षण करने पर नोट नकली होना पाये गये तथा नोटों की सीरीज मिलाई गई, तो पाया गया कि नोटों में एक ही सीरियल के एक से अधिक नोट है। आरबीआई की चमकीली पट्टी न होकर काली थी, होलोग्राम भी गहरे काले रंग की थी। जिसके पश्चात आरोपी रितेश से 500/–रूपये के कुल 100 नोट राशि 50,000/–रूपये के नकली नोट एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकिल सुजुकी एम.पी.–09–ए. के.–9795 जप्त किये गये। आरोपी ऋषिकेश से के कब्जे से 500/–रूपये के कुल 100 नोट राशि 50,000/–रूपये के नकली नोट एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकिल हीरो होंडा एम.पी.–09–जे.वाय. –3755 जप्त किये गये। अनुसंधान के दौरान अन्य आरोपी अंकित से नकली नोट छापने की सामग्री कागज, प्रिंटर एवं नकली 500 रूपये के नोट जप्त किये गये। अभियुक्तगण से जप्तशुदा कूटकरण करेंसी एवं इसका असली के रूप में उपयोग में लाने एवं कब्जे में रखने के अपराध में आरक्षी केन्द्र अपराध शाखा, इंदौर पर दिनांक 12.12.2025 को अपराध क्रमांक 213/2025, अंतर्गत धारा 179, 180 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन अंकित किये गये, आरोपीगण से पूछताछ कर उसका मेमों तैयार किया जाकर, अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। जप्ती एवं अन्य कार्यवाही किये जाने के पश्चात विवेचना के दौरान आये तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान उपरांत प्रकरण 238(बी), 3(5) एवं 61(2) बी.एन.एस., 2023 बी.एन.एस. का इजाफा किया जाकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान निवेदन किया गया कि प्रकरण के सहअभियुक्त रीतेश नागर को माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, इंदौर द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है, वर्तमान आवेदक का मामला उनसे भिन्न नहीं है, अतः उसे भी समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिया जावे।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर द्वारा सहअभियुक्तगण रीतेश नागर को एम.सी.आर.सी. क्रमांक–13088/2026 आदेश दिनांक–28.04.2026 से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है, जिससे वर्तमान आवेदक/अभियुक्त के द्वारा समानता के आधार पर जमानत चाही गयी है।

अभियोजन कथानक अनुसार घटना दिनांक को रीतेश सुजुकी एक्सेस गाड़ी पर तथा ऋषिकेश ब्लेक हीरो होंडा गाडी पर बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा दोनों को जब गिरफतार किया गया, तो उनके कब्जे से 500 रूपये के नकली नोट बरामद किये गये थे। रीतेश नागर एवं ऋषिकेश दोनों द्वारा धारा 23–2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेंडम में बताया है कि व्हाटसप चैट के माध्यम से नकली नोटों के व्यापार की बात होती थी और नकली नोट देकर सामने वाली पार्टी चली जाती थी। दोनों आरोपी दिनांक–12.12.2025 को ही गिरफतार किये गये थे। दोनों आरोपीगण का कृत्य भी समान दर्शित होता है। दोनों आरोपीगण को घटनास्थल से भी एक साथ गिरफतार किया गया है। सहआरोपी रीतेश नागर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया है। आरोपी ऋषिकेश का मामला भी रीतेश नागर के समान दर्शित होता है। प्रकरण के समग्र अवलोकन से जमानत पर मुक्त सहअभियुक्त रीतेश नागर से आवेदक का मामला गंभीर होने की स्थिति दर्शित नहीं है।

आवेदक दिनांक–12/12/2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, उससे नकली नोटों एवं मोटरसाईकिल की जप्ती की जा चुकी है। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विचारण पूर्व निरंतर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सहआरोपी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अभिरक्षा से मुक्त किया जा चुका है। **आवेदक/अभियुक्त ऋषिकेश तोण्डे** की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. (आई.ए. नं0–01/2026) **स्वीकार कर** आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त ऋषिकेश के द्वारा न्यायालय की संतुष्टि योग्य **25,000/–रुपये** की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत करे, तो उसे जमानत पर मुक्त किया जावे :–

1– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी तरह से प्रभावित, प्रताड़ित नहीं करेगा।

2– अभियुक्त न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

3– आवेदक अन्य किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु पूर्ववत दिनांक–06.05.2026 को पेश हो।

सही/–

(मनीष शर्मा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म0प्र0)